

बैंक के बारे में

कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शुरुआत मार्च 1960 में हुई, जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुछ मित्र, जो दिल्ली में रहते थे, एक छोटी बचत एवं ऋण समिति बनाने के लिए एकजुट हुए। उनका उद्देश्य सरल लेकिन सशक्त था - दिल्ली में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद करना।

प्रवर्तकों/प्रबंध समिति और आम सदस्यों की कड़ी मेहनत, समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के बल पर यह छोटी सी समिति लगातार विकसित हुई और बारह वर्षों के भीतर ही अपनी सफलता के लिए जानी जाने लगी। 1972 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने समिति को प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक में परिवर्तित करने की सिफारिश की। हालांकि, अनुपालन आवश्यकताओं, नीतियों और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण, सहकारी बैंक के रूप में कार्य शुरू करने में काफी समय लगा। सहकारी बैंक के रूप में औपचारिक उद्घाटन अक्टूबर 1977 में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी द्वारा प्रमुख सदस्य संस्थापक श्री बी.आर. शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया, जो उस समय सचिव थे। यह सेवा के एक नए युग की शुरुआत थी। इसी दौरान तत्कालीन बचत एवं ऋण समिति ने 1916, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 में एक इमारत खरीदी और समिति के लिए एक स्थायी कार्यालय स्थापित किया।

श्री बी.आर. शर्मा जी, जिनकी दूरदृष्टि और अथक प्रयासों ने इस बैंक की नींव रखी, ने बैंक को सुदृढ़ बनाने और शेयरधारकों का विश्वास जीतने के लिए अथक परिश्रम किया। प्रारंभिक वर्षों में व्यक्तिगत कठिनाइयों और कई जानलेवा हमलों सहित अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनके नेतृत्व और निस्वार्थ समर्पण ने बैंक को प्रारंभिक संघर्षों से निकालकर एक मजबूत, स्थिर और विकासशील संस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

धीरे-धीरे बैंक ने अपना विस्तार किया, आधुनिक सेवाएं शुरू कीं और हजारों शेयरधारकों का विश्वास जीता। बैंक ने न केवल दिल्लीवासियों और अपने शेयरधारकों के लिए गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सुनिश्चित की, बल्कि विशेष रूप से राजधानी में रहने वाले हिमाचलियों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर भी सृजित किए।

विकास और विस्तार

- 1995 - आरबीआई द्वारा पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया
- 1996 से - दिल्ली भर में कई नई शाखाओं के साथ विस्तार
- 1997 - प्रशासनिक और प्रधान कार्यालय के लिए जनकपुरी संपत्ति की खरीद
- 2008 - जगतपुरी शाखा भवन का अधिग्रहण
- 2022 - बुराड़ी शाखा भवन का अधिग्रहण, जहां केंद्रीय अभिलेख भी मौजूद है

बैंक ने अपने पंजीकृत कार्यालय पहाड़गंज स्थित अपने चार मंजिला भवन से कार्य करना जारी रखा है, जहां से इसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी।

सेवा की विरासत

1977 में एक बैंक के रूप में अपनी कठिन शुरुआत से लेकर राजधानी में एक विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सेवा, विश्वास और सामुदायिक कल्याण के मूल्यों को निरंतर बनाए रखा है।

श्री बी.आर. शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, बैंक की यात्रा को एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के साथ आकार दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निदेशक मंडल का मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि संस्थान ने न केवल अपनी शुरुआती चुनौतियों पर काबू पाया, बल्कि सतत विकास के लिए एक ठोस नींव भी रखी। उनके समर्पण और निदेशक मंडल के सामूहिक प्रयासों से, बैंक लगातार प्रगति करता रहा।

अगले दशकों में, क्रमिक बोर्डों और टीमों ने प्रतिबद्धता के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया - वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया, सेवाओं का विस्तार किया और सहकारी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखी। बैंक ने लगातार विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही दिल्ली में हिमाचली समुदाय के लिए एक मजबूत सहारा बना है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दिया है।

आज, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक दिल्ली का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है - एक ऐसा नाम जो विश्वास, सेवा और सहकारिता की भावना का पर्याय है, और यह इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे दूरदर्शिता, लचीलापन और टीम वर्क एक साधारण समिति को एक समृद्ध संस्था में बदल सकते हैं।

31 मार्च, 2026 तक बैंक की नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:-

सदस्यता	-	42896
सदस्यों के अलावा अन्य ग्राहक		124428
शेयर राशि	-	45.76 करोड़
आरक्षित/अन्य निधियां	-	98.54 करोड़
कार्यशील पूंजी	-	1589.39 करोड़
जमा	-	1411.22 करोड़
अग्रिम	-	782.93 करोड़
कर पूर्व शुद्ध लाभ	-	8.33 करोड़
कर पश्चात शुद्ध लाभ	-	6.95 करोड़
शुद्ध निष्पादित अपात्र (एनपीए)	-	0%
सी.आर.ए.आर. (CRAR)	-	16.39%

बैंक को लंबे समय से ग्रेड ए ऑडिट श्रेणी प्राप्त है। दिल्ली सरकार ने बैंक को वर्ष 2004-05, 2007-08, 2009-10 और 2011-12 के लिए "सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार" से सम्मानित किया है।

वार्षिक आम साधारण सभा (AGBM) और चुनाव, ऑडिट आदि नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। बैंक अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से लाभांश देता है। बैंक ने अपने शेयरधारकों के लिए तीन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं।

पहली योजना के तहत, यदि बैंक के किसी शेयरधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को सदस्य कल्याण योजना से 30,000 रुपये का मृत्यु अनुदान दिया जाता है। यदि उसने कोई ऋण लिया है, तो 1,00,000 रुपये तक की ऋण राशि ब्याज मुक्त कर दी जाती है।

दूसरी योजना सदस्यों और कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को प्रति वर्ष 3,500 रुपये और 4,000 रुपये की छात्रवृत्ति के रूप में है।

तीसरी योजना के तहत, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सदस्यों/कर्मचारियों के बच्चों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 5100 रुपये है और बैंक की वार्षिक आम साधारण सभा में ऐसे बच्चों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है।

बैंक की सभी शाखाएं दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन खुली रहती हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए, बैंक का एचडीएफसी बैंक के साथ एजेंसी समझौता है, जिसके तहत बैंक देशभर में

एचडीएफसी की शाखाओं में देय सममूल्य चेक जारी कर सकता है और एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर बाहरी चेक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। बैंक एचडीएफसी के साथ सी-एसजीएल खाता भी रखता है और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए आरबीआई की गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों में भी भाग लेता है।

बैंक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से सामान्य बीमा और जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करता है।

सभी शाखाओं में पैन कार्ड सेवा भी उपलब्ध है।

अपने कर्मचारियों के लिए बैंक ने कई अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे मेडिकलेम बीमा, जो कर्मचारी, उसके जीवनसाथी और दो बच्चों तक के अस्पताल में भर्ती होने पर 3 लाख रुपये तक के खर्चों को कवर करता है। कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये तक के आवास ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।

बैंक के पास सुव्यवस्थित सेवा नियम हैं जो कर्मचारियों के करियर विकास को सुनिश्चित करते हैं। बैंक वार्षिक दिवस भी मनाता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ शाखा, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी आदि को पुरस्कार दिए जाते हैं।

कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय-समय पर बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अतिथि व्याख्यान (Guest Lectures) भी आयोजित किए जाते हैं।



दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

सी-29, कम्यूनिटी सैन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली.110058

सदस्यों के लिये तुरन्त ऋण सुविधा

अब सदस्य अपनी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 लाख रु. तक का ऋण अपनी ब्रांच से ही ले सकेंगे। सदस्य डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उसका सिबिल (CIBIL) 750 से कम नहीं होना चाहिए। सदस्य ब्रांच में आकर ऋण फार्म भरे तथा एक जमानत (SURETY) दे कर तुरन्त ऋण प्राप्त कर ले। अधिक जानकारी के लिये ब्रांच मैनेजर से मिलें।

निदेशक मण्डल



दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली

1. ग्राहक बैंक सम्बंधित अपनी शिकायत को मुख्य शाखा अधिकारी के पास रखे रजिस्टर में दर्ज करें अथवा लिखित रूप में शिकायत पेटी में डालें अथवा ईमेल से भेजें। मुख्य शाखा अधिकारी शिकायत पेटी को हर रोज शाम **04.30** बजे खोल कर / ईमेल चेक करके शिकायत का संक्षिप्त विवरण शिकायत रजिस्टर में रिकार्ड के लिए दर्ज करे। ग्राहक मुख्य शाखा अधिकारी की ईमेल आई डी/ बैंक की वेबसाइट <https://kangra.bank.in> से ले सकते हैं।

2. ग्राहक सेवा केन्द्र:

at KANGRA BANK: Ph.:011-23582056, 9717885789 E-MAIL : customercare@kangra.bank.in

at RBI Portal : <https://cms.rbi.org.in> E-mail : crps@rbi.org.in

Centralized Receipt and processing centre, Reserve Bank of India

4th floor, Sector 17, Chandigarh 160017 TOLL FREE NO. : 14448

3. मुख्य शाखा अधिकारी 7 कार्य दिवस में शिकायत का निवारण करे अथवा उसे समाधान हेतु मुख्य कार्यालय में नोडल ऑफिसर {सहायक महाप्रबंधक - वित एवं लेखा (AGM)} के पास भेजें। शिकायत का स्कैन्ड रूप (स्कैन्ड कॉपी) ईमेल के जरिये उसी दिन शाम को नोडल ऑफिसर को भेजने सहित उसकी मूल कॉपी अपने पास रखकर कॉपी को डाक द्वारा भी भेजें। दोनों नोडल ऑफिसर एक दूसरे को सूचित करते हुए मिलकर शिकायत का निवारण करें।

4. नोडल ऑफिसर ईमेल अथवा डाक द्वारा भेजी शिकायत का निवारण तीन दिन के अन्दर करे और इसकी सूचना संबंधित मुख्य शाखा अधिकारी सहित प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी भेजे अन्यथा यदि शिकायत का समाधान उनके द्वारा संभव नहीं हो सके तो तीन दिन के अंदर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ईमेल और अंदरूनी डाक द्वारा शिकायत निवारण हेतु भेज दें। मुख्य शाखा अधिकारी निवारण संबंधी ब्योरा शिकायत रजिस्टर में दर्ज करके शिकायत निवारण संबंधी प्रक्रिया को पूरा करे।

5. प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिकायत का निवारण 5 दिन में करे अन्यथा यदि समाधान उनके द्वारा संभव नहीं हो तो तीन दिन के अन्दर हाई पावर कमेटी को भेजें।

6. हाई पावर कमेटी शिकायत का निवारण सात 7 दिनों में करे। हाई पावर कमेटी यदि जरूरी समझे तो शिकायत **Grievance and Debt settlement committee** के या निदेशक मंडल के विचाराधीन के लिए प्रेषित करे। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर शिकायत निवारण संबंधी कार्यवाही / निर्णय को शिकायतकर्ता सहित संबंधित मुख्य शाखा अधिकारी को भी भेजे। मुख्य शाखा अधिकारी शाखा में रखे शिकायत रजिस्टर में शिकायत निवारण का ब्योरा लिख कर शिकायत निवारण सम्बन्धी प्रक्रिया को पूरा करे।

7. ग्राहक अपनी शिकायत उपलिखित अधिकारियों में से किसी को भी कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को यदि जवाब तीस दिनों में नहीं मिलता या जवाब संतोषजनक नहीं लगता तो वो अपनी शिकायत के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित शिकायत प्रबंध प्रणाली (**Complaint Management System**) का उपयोग करके ओम्बड्समैन के पोर्टल (<https://cms.rbi.org.in>) में या E-mail: crpc@rbi.org.in में डाल सकते हैं।

8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिकायत निवारण हेतु जारी नोटिफिकेशन की कॉपी हर ब्रांच और हेड ऑफिस में ग्राहकों की जानकारी /पढ़ने के लिए रखी गयी है, जिसका उपयोग ग्राहक कर सकते हैं।

9. सम्बंधित अधिकारियों की संपर्क सूचना निम्नलिखित है :-

(A) 1) नोडल ऑफिसर {महाप्रबंधक (GM)}

श्री भूषण लाल वशिष्ठ, मोबाइल No. 8437904555 ईमेल gm@kangra.bank.in

2) नोडल ऑफिसर (सहायक महाप्रबंधक (AGM))

श्री प्रदीप कुमार शर्मा, मोबाइल No. 9891149732 ईमेल mft@kangra.bank.in

(B) प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री भूषण कुमार No. 9876039790 ईमेल ceo@kangra.bank.in/md@kangra.bank.in

नोट :- 1) अधिकारी कोई भी जवाब देने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से विचार विमर्श जरूर करें।

2) शिकायत का निवारण जिस भी स्तर पर हो शिकायतकर्ता को पत्रा अथवा ईमेल द्वारा सूचित किया जाये।

3) शिकायत रजिस्टर हर स्तर के अधिकारी को रखना होगा ताकि वह उसके पास आई डायरेक्ट शिकायत को उसमें दर्ज कर सके।

निदेशक मण्डल

Service to community with smile through co-operatives